बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–2–247/2019 778 /पटना, दिनांक :– 19/4/23

श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली को कार्य प्रमंडल, रजौली अंतर्गत एन0एच0–31 से प्राणचक ग्राम पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने तथा अंततः कराया गया अनुरक्षण कार्य अत्यंत निम्न गुणवत्ता का होने एवं नरहट प्रखंड के खनवा पंचायत में निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बहाल करने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोपों के लिए अधिसूचना संख्या–3705 दिनांक 23.12.2019 द्वारा निलंबित किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1007 दिनांक 02.06.2020 द्वारा श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4058 दिनांक 21.08.2020 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राय के विरूद्ध गठित उक्त पथ में अनुरक्षणं कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप को श्री राय द्वारा प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् संवेदक को डीबार करने एवं एकरारनामा विखंडित कर काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर ससमय अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने एवं क्षतिग्रस्त पुलिया संबंधी आरोप के संबंध में अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ के अनुरक्षणं कार्य का विपत्र 25.12.2019 को तैयार कर भुगतान किये जाने के आधार पर अप्रमाणित पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयीः–

(i) श्री राय के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् संवेदक को डीबार करने एवं एकरारनामा विखंडित कर काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर ससमय अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने के आधार पर गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया है, किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि श्री राय के द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली का प्रभार दिनांक 11.12.2018 को ग्रहण किया गया था, जिसके दस माह पश्चात् राय के द्वारा संवेदक को एकरारनामा विखंडन एवं काली सूची में नाम डालने के संदर्भ में नोटिस दिया गया है, जबकि संवेदक द्वारा प्रश्नगत् पथ का अनुरक्षण दिनांक 23.08.2016 से ही नहीं किया जा रहा था। इससे पूर्व भी संवेदक को पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा नोटिस दिया जा चुका था। ऐसी स्थिति में संवेदक को और अवसर देने का कोई औचित्य नहीं था। चूँकि विगत तीन वर्षों से संवेदक द्वारा पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा था, तो राय का यह दायित्व था कि प्रश्नगत् प्रमंडल का प्रभार ग्रहण

करने के तुरंत बाद संवेदक के एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जाती, जबकि राय के द्वारा काफी विलंब से माननीय मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में मामला प्रकाश में आने के पश्चात् कार्रवाई की गई है। इस आधार पर उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप के संदर्भ में श्री राय के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

(ii) श्री राय के विरूद्ध क्षतिग्रस्त पुलिया संबंधी आरोप के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के बचाव बयान में प्रस्तुत तथ्यों को ही सही मानते हुए आरोप को अप्रमाणित माना गया है। श्री राय का इस आरोप के प्रसंग में कथन है कि अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का विपत्र 25.12.2019 को तैयार कर भुगतान किया गया है। किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि श्री राय के निलंबन के उपरान्त उक्त विपत्र को पारित किया गया है। जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा यातायात बहाल करने हेतु दिये गये निदेश का अनुपालन के संबंध में श्री राय के द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर क्षतिग्रस्त पुलिया संबंधी आरोप के संदर्भ में श्री राय का बचाव बयान संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री राय से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(2) के तहत विभागीय पत्रांक–619 अनु0 दिनांक 24.03.2021 द्वारा उक्त असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री राय द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 26.03.2021 समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्य प्रमंडल, रजौली अन्तर्गत एन0एच0–31 से प्राणचक ग्राम तक पथ दिनांक 23.08.2016 से ही पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में था। उनके द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली में दिनांक 11.12.2018 को प्रभार ग्रहण किया था तथा पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण दिनांक 26.12.2018 को ही संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा पत्रांक 1720 दिनांक 26.12.2018 द्वारा कर दिये थे। विभाग द्वारा संवेदक को डिबार करने में विलम्ब हुआ तो उनके पत्रांक 700 दिनांक 01.08.2019 के द्वारा पुनः डिबार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजा गया। इसके बाद एकरारनामा प्रावधान के नियमानुसार दो Termination Notice संवेदक को क्रमशः 26.10.2019 एवं 13.11.2019 को उनके द्वारा दिया गया तथा इसके बाद संवेदक का एकरारनामा दिनांक 18.12.2019 को विखंडित कर प्रमंडल में संवेदक के जमा राशि को जब्त करते हुए काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर दिये थे। इस प्रकार उनके द्वारा प्रभार प्रहण दिनांक 11.12.2018 के 15 दिन में ही दिनांक 26.12.2018 को डिबार हेतु अनुशंसा की कार्रवाई करना विलंब नहीं कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उनके प्रभार ग्रहण दिनांक 11.12.2018 के पूर्व यानि दिनांक 23.08.2016 से 10.12.2018 तक संबंधित पथ का अनुरक्षण नहीं करने पर संवेदक को पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। आरोप पत्र में वर्णित पथ में कोई पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और

संबंधित पथ में आवागमन भी बाधित नहीं हुआ था। संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का भुगतान विपत्र बनाकर अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 25.12.2019 को ही किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनका निलंबन दिनांक 23.12.2019 को हुआ था। निलंबन के एक दिन बाद ही अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का भुगतान दिनांक 25.12.2019 को किया गया है। यदि पथ में पुलिया क्षतिग्रस्त रहता और आवागमन बाधित रहता तो अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा वित्तीय राशि का भुगतान नहीं किया जाता। जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा संबंधित पथ में पुलिया के क्षतिग्रस्त के संबंध में कोई निर्देशित पत्र उन्हें नही दिया गया था।

6. श्री राय के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(ii) एवं 14(vi) के तहत पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. तदालोक में श्री राय को विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया गया एवं बिहार लोक सेवा आयोग से दंड प्रस्ताव पर सहमति के उपरान्त अधिसूचना सं0–1092 सह–पठित ज्ञापांक 1093 दिनांक 12.08.2021 द्वारा श्री राय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन)नियमावली, 2007 के नियम 14(ii) एवं 14(vi) के तहत पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

8. श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री राय द्वारा अधिसूचना सं0–1092 दिनांक 12.08.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। अभ्यावेदन में निम्नाकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(i) कार्य प्रमंडल, रजौली के एन0एच0–31 से प्राण चक ग्राम तक पथ, जो दिनांक 21.11.2015 से दिनांक 20.11.2020 तक पंचवर्षीय अवधि में था, का अनुरक्षण कार्य ससमय एवं गुणवत्तापूर्वक नहीं कराया गया का आरोप लगाकर वृहद दण्ड दिया गया है, जबकि उनके द्वारा दिनांक 11.2.2018 को तीन वर्ष बाद रजौली प्रमंडल का प्रभार ग्रहण किया गया था। प्रभार ग्रहण की तिथि 11.12.2018 से मात्र 15वें दिन दिनांक 26.12.2018 से ही संवेदक पर अनुरक्षण करने के लिए दबाव बनाया और अनुरक्षण नहीं करने पर संवेदक पर डिबार की कार्रवाई हेतु अनुशंसा विभाग को कर दिया था। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य में विलम्ब किया गया तो संवेदक को Termination Notice दिया गया, तब जाकर संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य प्रारंभ किया गयां। कुछ भाग में अनुरक्षण कार्य निम्न गुणवत्ता होने के कारण संवेदक का एकरारनामा विखंडित कर काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा भी किया

गया। इस प्रकार संवेदक पर नियमानुसार एकरारनामा के प्रावधान के तहत सभी कार्रवाई किया गया है। संवेदक को कोई वित्तीय राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) नरहट प्रखंड के खनवा पंचायज अन्तर्गत खुशहाल बिगहा ग्राम को हिसुआ सिरदला मुख्य पथ से जोड़ने वाली सम्पर्क पथ का बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुलिया को मरम्मति नहीं कराने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में कहना है कि उक्त पथ में कोई पुलिया बाढ में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, जिससे आवागमन बाधित हुआ हो।

(iii) एन0एच0–31 से ग्राम प्राणचक तक सड़क का अनुरक्षण कार्य का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया एवं जिला पदाधिकारी नवादा द्वारा दिनांक 16.12.2019 को अलग–अलग समय में किया गया था। दिनांक 16.12.2019 को ही जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्देश दिया गया कि 200 मीटर पी0सी0सी0 के लम्बाई से मिट्टी हटाकर कालीकरण करा दिया जाय। उनके निदेश के आलोक में संवेदक द्वारा कालीकरण कराया गया। कार्य त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 18.12.22019 को ही एकरारनामा के नियमानुसार एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई एवं संवेदक का नाम काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा विभाग को किया गया था।

9. श्री राय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों एवं मामले से संबंधित संचिका में संधारित कागजातों के परिशीलन से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

(i) प्रश्नगत पथ के निर्माणोपरान्त अंतिम विपत्र दिनांक 23.08.2016 को तैयार किया गया है। मापीपुस्त में दिनांक 23.08.2016 से अबतक किसी भी वर्ष का पंचवर्षीय अनुरक्षण का विपत्र अंकित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि चौथे वर्ष तक पथ में कोई अनुरक्षण कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया गया। श्री राय द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली का प्रभार दिनांक 11.12.2018 को लिया गया है। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् श्री राय द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1720 दिनांक 26.12.2018 द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया को PMGSY योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य नहीं करने वाले संवेदकों की सूची अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की गयी है।

(ii) श्री राय के पत्रांक 1134 दिनांक 26.10.2019 एवं पत्रांक 1240 दिनांक 13.11.2019 द्वारा संवेदक को नोटिस देकर सकारण आदेश सं0–1521 दिनांक 18.12.2019 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित करते हुए काली सूची में नाम दर्ज करने की अनुशंसा की गयी। साथ ही संवेदक के अग्रधन की राशि, विपत्र से काटी गयी जमानत की राशि एवं समयवृद्धि की राशि को जब्त किया गया है। इस प्रकार श्री राय द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की गयी है। संवेदक को अनुरक्षण मद में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। स्पष्टतः मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय के विरूद्ध अधिसूचना सं0—1092 सह—पठित ज्ञापांक 1093 दिनांक 12.08.2021 द्वारा अधिरोपित शास्ति को संशोधित करते हुए श्री राय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन)नियमावली, 2007 के नियम 14(ii) एवं 14(v) के तहत एक वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक एवं असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के विरूद्ध अधिसूचना सं0—1092 सह—पठित ज्ञापांक 1093 दिनांक 12.08.2021 द्वारा अधिरोपित शास्ति (पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:—

(i) **एक वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक।**

(ii) **असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/4/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—2—247/2019 779 /पटना, दिनांक :— 19/4/23

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

18/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—2—247/2019 779 /पटना, दिनांक :— 19/4/23

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–247/2019 779 /पटना, दिनांक :– 19/4/23

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, गया/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/त्रिवेणीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/2023

विशेष सचिव

6

आई. टी. मैनेजर